रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 348] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 1992/श्रावण 28, 1914
No. 348] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 1992/SRAVANA 28, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1992

सा.का.नि. 729 (अ).—केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 तथा धारा 36क की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 1986 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष तथा सदस्यों का वेतन तथा भत्ते एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 1992 होगा।

(2) ये 24 मार्च, 1992 को प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन तथा भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 1986 (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा), में नियम 1 के उप नियम (1) में "अध्यक्ष की सेवा" शब्दों के लिए "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम (3) के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"वेतन अध्यक्ष आठ हजार रुपए वेतन तथा पांच सौ रुपए प्रति मास का विशेष वेतन प्राप्त करेगा। उपाध्यक्ष आठ हजार रुपये प्रति मास वेतन प्राप्त करेगा। सदस्य रु. 7300-100-7600 के वेतनमान में प्रति माह वेतन प्राप्त करेगा" :

"परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय

के न्यायाधीश के रूप में सेवा निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है या उसे पेंशन और/या उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा निवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो पूर्वोक्त वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन और उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति फायदों, यदि कोई हों, परन्तु सेवा निवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन को छोड़कर, की कुल रकम कम कर दी जाएगी ।

4. उक्त नियमों के नियम 4 में "अध्यक्ष" शब्द के लिए "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 5 में, —

(1) उप नियम (1) में—

(क) प्रथम वाक्य में, "अध्यक्ष" शब्द के लिए "अध्यक्ष; कोई उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अन्तिम वाक्य में, "अध्यक्ष" शब्द के लिए "अध्यक्ष अथवा कोई उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(2) उप नियम (2) में, "अध्यक्ष" शब्द के लिए "अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 6 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी यह आए, "अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 7 में सदस्य शब्द के लिए "उपाध्यक्ष तथा सदस्य" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 8 में उपनियम (1) में "अध्यक्ष" शब्द के लिए "अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त नियमों के नियम 9, 10, 11 और 12 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर जहां कहीं यह आए "अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के नियम 13 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

11. उक्त नियमों के नियम 14 में "अध्यक्ष या" शब्द के स्थान पर "अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष तथा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

12. उक्त नियमों के नियम 15 में,—

(1) शीर्षक तथा प्रारंभिक भाग में "अध्यक्ष" शब्द के लिए दो स्थानों पर जहां भी ये आएं "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(2) अंतिम वाक्य में "अध्यक्ष" शब्द के लिए "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" जैसा भी मामला हो, शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

13. उक्त नियमों के नियम 15क में "अध्यक्ष" शब्द के लिए "अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

14. उक्त नियमों के नियम 16 में "अध्यक्ष" शब्द के लिए "अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[संख्या 11013/39/91-ए.टी.]

आर. रमणि, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में उपाध्यक्ष के पद के सृजन तथा 24-3-92 से उपाध्यक्ष की नियुक्ति के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन तथा भत्ते एवं सेवा-शर्तें) नियमावली, 1986 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पणी :—

मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त, 1986 की सा.का.नि. 1015 (ई) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके बाद निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

(1) संख्या सा.का.नि. 424 (ई), दिनांक 4-4-1988

(2) संख्या सा.का.नि. 1046 (ई), दिनांक 13-12-89

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 1992

G.S.R. 729(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with Clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36-A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) (Amedment) Rules, 1992.

(2) They shall be deemed to have comee into force on the 24th day of March, 1992.

2. In the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 1, for the words "Service of Chairman", the words "Service of Chairman, Vice-Chairman" shall be substituted.

3. For rule 3 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"Pay———The Chairman shall receeive a pay of rupees eight thousand plus a special pay of rupees five hundred peer mensem. A Vice-Chairman shall receive a pay of rupees eight thousand per mensem. A member shall receive a pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 per mensem :

"Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident, Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him.

4. In rule 4 of the said rules, for the word "Chairman", the words "Chairman, Vice-Chairman" shall be substituted.

5. In rule 5 of the said rules,—

(1) in sub-rule (1)

(a) in the opening sentence, for the word "Chairman" the words "Chairman, a Vice-Chairman" shall be substituted ;

(b) in the last sentence, for the word "Chairman", the words "Chairman or a ViceChairman" shall be substituted ;

(2) in sub-rule (2), for the word "Chairman", the words "Chairman, a Vice-Chairman" shall be substituted.

6. In rule 6 of the said rules, for the word "Chairman" wherever it occurs, the words "Chairman, a Vice-Chairman" shall be substituted.

7. In rule 7 of the said rules, for the word "Member", the words "Vice Chairman and the Member" shall be substituted.

8. In rue 8 of the said rules in sub-rule (1), for the word "Chairman", the words "Chairman, a Vice-Chairman" shall be substituted.

9. In rules 9, 10, 11 and 12 of the said rules, for the word "Chairman" wherever it occurs, the words "Chairman, a Vice-Chairman" shall be substituted.

10. In rule 13 of the said rules, for the word "Chairman and", the words "Chairman, a Vice-Chairman and" shall be substituted.

11. In rule 14 of the said rules, for the words "Chairman or", the words "Chairman, a Vice-Chairman and" shall be substituted.

12. In rule 15 of the said rules,—

(1) in the heading and the opening portion, for the word "Chairman", at both the places where it occurs, the words "Chairman or Vice-Chairman" shall be substituted ;

(2) in the last sentence, for the word "Chairman", the words "Chairman or Vice-Chairman, as the case may be" shall be substituted.

13. In rule 15-A of the said rules, for the word "Chairman", the words "Chairman and Vice-Chairman" shall be substituted.

14. In rule 16 of the said rules, for the word "Chairman", the words "Chairman, a Vice-Chairman" shall be substituted.

[No. 11013/39/91-AT]

R. RAMANI, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum :—

Consequent upon creation of a post of Vice-Chairman in the Himachal Pradesh Administrative Tribunal and appointment of a Vice-Chairman w.e.f. 24-3-1992, it has been decided to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman or Member of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

Foot Note :—The Principal Rules were published vide GSR 1015(E), dated the 22nd August, 1986 in the Gazette of India and subsequently amended vide :—

(i) No. GSR 424(E), dated 4-4-1988.

(ii) No. GSR 1046(E), dated 13-12-1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992

IndiaCode